(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन,

सार्वजनिक सूचना सं. 04/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 20 अप्रैल, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आबंटन हेतु आवेदन।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत मदों के आयात हेतु प्रक्रिया के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015–20, दिनांक 7 सितंबर, 2021 और सं. 31/2015–20, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के क्रम में महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा मौजूदा **वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु पहले आओ पहले पाओ आधार पर आवेदन आमंत्रित कर** विदेश व्यापार नीति 2015–20 के परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक III की शर्त (II) (च) को संशोधित करते हैं। **मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु टीआरक्यू के आबंटन हेतु ऑन लाइन आवेदनों को प्रस्तुत करने की कोई अंतिम तिथि नहीं होगी, जिसके लिए अन्य तौर तरीके वही रहेंगे।**

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आबंटन हेतु ऑनलाइन आवेदनों पर डीजीएफटी द्वारा **पहले आओ पहले पाओ आधार पर** विचार किया जाएगा, **जिसके लिए कोई अंतिम तिथि नहीं होगी।**

संतोष कुमार सारंगी
20.4.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/93/180/63/एम–21/पीसी–2(बी)/ई–27749 से जारी)